

य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प----- कुली

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एव पटवारी----- व भू.अ.नि.-----  
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार-----/नायब तहसीलदार-----की अनुशंसा  
के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम-----  
तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर की जमाबन्दी संवत्-----में खाता संख्या-----  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र.स. | ग्राम                | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|--------|----------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| 1      | चैनपुरा<br>प.म. कुली | 22          | निलोका श. मांगू                      | निलोका राम श. मोमाराम शंभु शुक्लविह                           |
| 2      | चैनपुरा<br>प.म. कुली | 14          | निलोका श. मांगू                      | निलोका राम श. मोमाराम शंभु शुक्लविह (जमाबंदी)                 |

(जगदीश प्रसाद गौड़)

उपपीठासीन अधिकारी, लोक अदालत, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि-

शेडर/15/कैम्प कुली/15-16

26/1/15

1. तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें ।
2. प्रार्थी श्री-----को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली ।

निलोका राम श. मोमाराम शंभु शुक्लविह  
निलोका राम श. मांगू

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

पुल